न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-238RAAJodhpur2022-102RTA223 Narayanram Vs Sukharam etc

नारायणराम पुत्र श्री हुकमाराम, जाति विश्नोई, निवासी, ग्राम खारा तहसील व जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. सुखराम पुत्र कानाराम
2. अमराराम पुत्र कानाराम
3. फगलूराम पुत्र कानाराम
4. सुरताराम पुत्र कानाराम
5. भाखरराम पुत्र कानाराम
6. फगलूराम पुत्र भीयाराम
   जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम खारा, तहसील व जिला फलोदी।
7. रामचन्द्रराम पुत्र कानाराम
8. लाखाराम पुत्र छोगाराम
9. अर्जुनराम पुत्र धुड़ाराम फौत के कायम मुकामः -
   9.1. महीपाल पुत्र अर्जुनराम
   9.2. अशोक पुत्र अर्जुनराम
   9.3. शिवनारायण पुत्र अर्जुनराम
   9.4. पुखराज पुत्र अर्जुनराम
   9.5. सुनिल पुत्र अर्जुनराम
   9.6. ओमप्रकाश पुत्र अर्जुनराम
   रेस्पोडेंट संख्या 9.5 एवं 9.6 नाबालिग जरिये माता श्रीमती लूंगा पत्नी अर्जुनराम
   9.7. लूंगा पत्नी अर्जुनराम
   9.8. रेखी पुत्री अर्जुनराम
   9.9. भंवरी पुत्री अर्जुनराम
   9.10. पिंकी पुत्री अर्जुनराम
10. मोहनराम पुत्र धूड़ाराम
11. भागीरथराम पुत्र धूड़ाराम
12. लाछी पुत्री धूड़ाराम
13. गंवरी पत्नी धूड़ाराम
14. अर्जुनराम पुत्र हुकमाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

15.जोराराम पुत्र हुकमाराम
16.निम्बाराम पुत्र भीयाराम फौत के कायम मुकामः -
16.1. रूपा पुत्री निम्बाराम
16.2. हीरा पुत्री निम्बाराम
16.3. अणची पत्नी निम्बाराम
17.खमूराम पुत्र मोतीराम फौत के कायम मुकामः -
17.1. हरदास पुत्र खमूराम
17.2. नरसिंगाराम पुत्र खमूराम
17.3. धन्नाराम पुत्र खमूराम
18.रूगनाथराम पुत्र जसवंताराम
19.धन्नाराम पुत्र जसवंताराम
जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम खारा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
20.हीरा पत्नी भोलाराम, जाति विश्नोई, निवासी- जाम्बा की ढाणी, तहसील बाप, जिला फलोदी।
21.मीरा पत्नी फगलूराम जाति विश्नोई, निवासी- खारा, तहसील व जिला फलोदी।
22.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 फरवरी 2022 सहायक कलक्टर बाप राजस्व मूल वाद संख्या 108/2015 सुखराम व अन्य बनाम रामचन्द्रराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 22
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 29 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 108/2015 अनवान सुखराम व अन्य बनाम रामचन्द्रराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 फरवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 10 जून 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से छः ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 358 रकबा 321.06 बीघा, खसरा नं. 465 रकबा 219.02 बीघा, खसरा नं. 518 रकबा 41.06 बीघा, खसरा नं. 590 रकबा 20.08 बीघा कुल रकबा 602.02 बीघा ग्राम मालमसिंह की सिड के संबंध में धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 फरवरी 2022 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के नोटिस सम्यक रूप से तामील नही करवाया गया था, जिस कारण अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख नहीं सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री राजस्व रेकर्ड की अनदेखी करते हुए पारित किया है, जबकि राजस्व रेकर्ड के अनुसार भींया पुत्र मोती एवं हुकमा पुत्र भींया का 1/5 हिस्सा है, जिस अनुसार भींया का विवादित शेष भूमि में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1/10 हिस्सा बनता है तथा उसके वारिसान् तीन पुत्रों का 1/30-1/30 हिस्सा बंट में आता है, जबकि प्रतिवादी संख्या 11 स्वयं का 1/15 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवा लिया है जो हिस्सा अधिक घोषित करवाये जाने के कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड के विपरीत जाकर अपीलार्थी का हिस्सा 1/45 दर्ज कर दिया गया है, जबकि अपीलार्थी के पिता हुकमाराम का विवादित भूमि में 1/10 हिस्सा था तथा पिता के फौत होने पर हुकमाराम को विवादित भूमि में 4/30 हिस्सा हो जाता है तथा 1/45 हिस्सा अर्जुन पुत्र हुकमाराम से खरीद किये जाने के कारण अपीलार्थी का हिस्सा अधिक बनता है, जिसे कम किया जाकर घोषणा की है, इस कारण आलौच्य निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य लिये बिना ही वाद का निस्तारण किया है जो वाद का निस्तारण विधि अनुसार व रेकर्ड अनुसार नही किये जाने के कारण तथा वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज योग्य है। इस संबंध में वकील अपीलांट द्वारा 2002 LawSuit(Raj)896, 1986 LawSuit(Raj)733, की न्यायिक नजीरे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यदि वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य पेश नहीं किया जाता है तो न्यायालय वाद को आदेश 17 नियम 2 के तहत वाद डिफॉल्ट में खारिज करेगा। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में साक्ष्य के अभाव में वाद को खारिज नहीं कर विधि-विरुद्ध तरीके से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना उसके विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नही हो सकी। हल्का पटवारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन की बात कहने पर अपीलांट को दिनांक 08.06.2022 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु आवेदन किये जाने पर अपीलांट को दिनांक 09.06.2022 को नकल प्राप्त होने पर, जिसे पढने पर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इससे पहले अपीलांट को आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का माफ किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 फरवरी 2022 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलार्थी को जवाब एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाकर विधि अनुसार वाद निस्तारण किय जाने के निर्देश फरमावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया में विहित प्रावधानानुसार अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये बिना उसके विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं होना स्वाभाविक है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 09.04.2021 के जरिये पत्रावली को वादीगण की साक्ष्य में रखा गया। दिनांक 29.09.2021 को वादी द्वारा साक्ष्य नहीं करवाये जाने पर उनकी साक्ष्य बंद कर दी गई तथा पत्रावली बहस हेतु मुकर्रर कर दी गई। **आदेश 17 नियम 3 सीपीसी के अनुसार यदि कोई पक्षकार समय दिये जाने के बावजूद साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो न्यायालय को चूक के लिए मुकदमा खारिज करने की अनुमति है।** वादी द्वारा किसी प्रकार के साक्ष्य पेश नहीं किये जाने तथा दस्तावेजात को प्रदर्श नहीं करवाये जाने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य के आधार पर विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना पाया जाता है। **प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्च न्यायालय ने उद्धरित किया है कि नियत तिथि पर पक्षकार द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो न्यायालय आदेश 17 नियम 2 व 3 के तहत कार्यवाही कर सकता है। हस्तगत मामले में नियत तिथि पर वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये गये तथा विचारण न्यायालय द्वारा वाद में आदेश 17 नियम 2 व 3 के तहत कार्यवाही नहीं की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। लिहाजा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों के तथ्य हस्तगत प्रकरण में लागू होने से प्रकरण पर चस्पा होते** है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 108/2015 अनवान सुखराम व अन्य बनाम रामचन्द्रराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 फरवरी 2022 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलांट का जबाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की साक्ष्य उपरांत वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले का विधिनुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर